राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	आनन्दी देवी बनाम हनुमान हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/02/2026	683/2018 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली रेस्पो. को उपस्थित होकर पैरवी हेतु एक अवसर न्यायहित में प्रदान किया जाकर पत्रवाली रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 25/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता रेस्पो. को पूर्व में भी अवसर प्रदान किये जा चुके है। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अत: पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
27/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन होन्डिंग एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2017 पारित करते हुये तहसीलदार चाकसू को विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 655, 656, 701, 702, 703 से 707 किता 9 रकबा 3.00 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडा जगन्नाथपुरा तहसील चाकसू का तकासमा मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08/05/2018 पारित करते हुये वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सेंशन न्यायालय का स्थगन आदेश होने का अंकन करते वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तकासमें के वाद को अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	आनन्दी देवी बनाम हनुमान हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	683/2018	

न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सैशन न्यायालय का स्थगन होने के आधार पर ख़ारिज कर दिया गया, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसरण में वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये वाद को निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये प्रश्नाधीन विभाजन के वाद को ख़ारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित किया जाना स्पष्ट होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08/05/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये वाद में अग्रिम कार्यवाही करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 27/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर